संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

कमांक 125 /संचा.–वि.स./2025 नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग,
महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर

विषय– **विधानसभा प्रश्न कमांक 984 अतारांकित द्वारा डॉ चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा की जानकारी अग्राहय/संशोधन कराने के संबंध में।**

कृपया विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न कमांक 984 अतारांकित द्वारा डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के प्रश्नांश "क", "ख" एवं "ग" में धान उपार्जन केन्द्रों में कमी की मात्रा और के संबंध में जानकारी चाही गई है, जो जानकारी अंत्यत विस्तृत होगी। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अध्याय 7 कंडिका 36 (16) में प्रावधान है कि उसमें ऐसे नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो की प्रश्न उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके।

अतः उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश "क", "ख" एवं "ग" को अग्राह्य/संशोधन कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

01/07/25

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **धान उपार्जन केन्द्रों में कमी की मात्रा और राशि**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **984**) **डॉ.चरण दास महंत**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्रों पर धान के शार्टेज की मात्रा और राशि क्या-क्या है? क्या इस शार्टेज को विपणन संघ के द्वारा उपार्जित मात्रा में से कम करके खाता मिलान तथा हिसाब-किताब किया जाता है? (ख) क्या उपार्जन केन्द्रों पर धान की जो मात्रात्मक कमी आती है उसके मूल्य/लागत की राशि की वसूली विपणन संघ द्वारा उपार्जन करने वाली सहकारी समितियों से की जाती है? यदि हां तो दोनों वर्षों की वसूली योग्य राशि कितनी-कितनी है? क्या तदाशय का निर्णय राज्य या केन्द्र शासन का है? (ग) उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WPC NO. 1409/2025, WPC NO. 1502/2025 आदि अनेक याचिकाओं पर पारित आदेश दिनांक 29.04.2025 के पालन में क्या कार्यवाहियां की गई हैं?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :